Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 101-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 12, 2017 (JYAISTHA 21, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रीमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 12 जून, 2017

संख्या 6/2/2017 –1 कैबिनेटः– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, कप्तान सिंह सोलंकी, राज्यपाल हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) संशोधन नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में,–
   (i) तकनीकी शिक्षा विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से) शीर्ष, चिन्ह तथा कोष्ठकों के स्थान पर ''तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से)'' शीर्ष, चिह्न तथा कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
   (ii) विद्यमान क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,:–

"1. कार्मिक, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग को आवंटित मामलों को छोडकर, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों तथा अमले से सम्बन्धित स्थापना मामलें।

2. डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना।

3. परीक्षाएं आयोजित करवाना, उनके नियम बनाना और डिप्लोमा प्रदान करना।

4. शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का निपटान करना।

5. सभी राजकीय बहुतकनीकियों/संस्थाओं के आय–व्यय के लेखों का निरीक्षण तथा लेखा–परीक्षा करना।

6. सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाओं के आय–व्यय के लेखों का निरीक्षण और लेखा–परीक्षा करना।

7. विभाग के योजना और गैर योजना बजट तैयार करना और विभिन्न योजनाओं (योजना और गैर योजना) के कार्यन्वयन की निगरानी करना।
8. तकनीकी शिक्षा के विस्तार, सुधार और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
9. छात्रों के लिए छात्रवृति/वजीफा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
10. दोनो पोस्ट डिप्लोमा, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के कोर्सों पर तकनीकी शिक्षा का विकास करना और बढ़ावा देना।
11. औषधीय शिक्षा ।
12. समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित छात्रों के लिए नीतिओं का सूत्रीकरण ।
13. सभी स्तर पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढावा देने के लिए नीतियों का सूत्रीकरण ।
14. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा का विनियमन तथा मानकीकरण।
15. तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित सभी सरकारी संस्थानों या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा खोले जाने वाले किसी अन्य संस्थान का प्रशासन तथा नियन्त्रण ।
16. विभाग के क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी तथा निजि संस्थाओं की परीक्षा, दाखिले, फीस और सभी आनुषंगिक मामलों को विनियमन।
17. तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक निजि भागीदारी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देना।
18. विभिन्न स्कीमों के अधीन भारत सरकार से निधियां जुटाना और इन स्कीमों को कार्यान्वित करना तथा विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों का संवितरण करना।
19. सभी ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) द्वारा मंजूर किए गए सभी कोर्सिस जैसे इंजीनियरिंग, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, होटल प्रबन्धन तथा कैटरिंग तकनीक, फार्मेसी, वास्तुकला, डिप्लोमा इत्यादि का विनियमन तथा निगरानी करना।
20. तकनीकी शिक्षा में मानव संसाधनों की जरूरतों की मैपिंग करना तथा राज्य की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन विकास की प्लानिंग करना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू करना।
21. सभी स्तर पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली राज्य/निजि तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों की सभी तकनीकी संस्थानों की मूलभूत संरचना, संकाय, मशीनरी उपकरण तथा अन्य सुविधाओं को जांचने के लिए निरीक्षण तथा निगरानी करना।
22. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं तथा कोर्सों का पुनर्गठन ।
23. तकनीकी शिक्षा में अन्तरराज्य तथा अन्तरराज्यीय समन्वय।
24. तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण।
25. तकनीकी शिक्षा निम्नलिखित सहित तथा उससे सम्बन्धित सभी मामले:-
    क. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का 19)
    ख. हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का 18)
    ग. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति ।"।

चण्डीगढ़:
दिनांक 1 जून, 2017

कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा ।

चण्डीगढ़:
दिनांक 8 जून, 2017

डी0एस0 ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Notification

The 12th June, 2017

No. 6/2/2017-1Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I , Kaptan Singh Solanki, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Amendment Rules, 2017.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule,-

(i) for the heading, signs and brackets "TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department)", the heading, signs and brackets "TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department)" shall be substituted;

(ii) for existing serial numbers and entries thereagainst the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"1. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department, except matters allotted to the Personnel, General Administration, Administrative Reforms and Training Department.

2. To accord affiliations to the Diploma level institutions.

3. To conduct examinations, frame rules thereof and to award diplomas.

4. To deal Academic, Administrative and financial matters.

5. To inspect and audit income-expenditure accounts of all Government Polytechnics/ institutions.

6. To inspect and Audit income-expenditure accounts of Government Aided Technical institutions.

7. To prepare the Plan and Non-Plan Budgets of the Department and monitor the implementation of various schemes (Plan and Non-Plan).

8. To prepare project reports of various schemes for the expansion, improvement and Development of Technical Education.

9. To arrange scholarships/ stipend and other facilities to the students.

10. To develop and promote Technical Education both at post-Diploma, Diploma and Degree level Courses.

11. The Pharmaceutical Education.

12. Formulation of Policies for the students belonging to weaker sections of society.

13. Formulation of policies for encouraging quality Technical Education at all levels.

14. Regulation and standardization of Technical Education at certificate, Diploma, Post Diploma, Under Graduate and Post Graduate level.

15. Administration and Control of all Government Institutions relating to Technical Education or any other Institute to be opened by Government in the Field of Technical Education.

16. Regulation of examination, Admissions, fee and all incidental matters of private and Govt. Institutions under the ambit of the Department.

17. Arranging funds for development of Technical Education and encouraging investment in Technical Education through Public Private Partnerships.

18. Mobilization of funds from Government of India under various schemes and implementation of these schemes and disbursement of funds under various schemes.

19. Regulation and monitoring of all AICTE approved courses such as Engineering, MBA, MCA, Hotel Management and Catering Technology, Pharmacy, Architecture, Diploma etc.

20. Mapping of Human Resources need in Technical Education and planning of Human Resources Development according to the needs of the State, Initiating new schemes for promoting Technical Education.

21. Inspection and monitoring of Technical Institutions including State/ Private and Deemed Universities offering Technical Education for verification of infrastructure, faculty, machinery equipment and other facilities for quality technical education at all levels.

22. Reorganization of the courses and institutions of Technical Education.

23. Inter-State and Intra-State coordination in the Technical Education.

24. Technical Education Quality improvement programs and training.

25. Technical Education- all matters relating to and including:-

(a) The Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 (19 of 2008);

(b) The Haryana Private Technical Education Institution (Regulation of Admission and fee) Act, 2012 (18 of 2012);

(c) Haryana State Technical Education Society.".

Chandigarh:
The 1st June, 2017,

KAPTAN SINGH SOLANKI,
Governor of Haryana

Chandigarh:
The 8th June, 2017,

D.S.DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana

55391—C.S.—H.G.P., Chd.